न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हेमलता देवी बनाम श्रीमती तहसीलदार

दावा मु.नं. 34/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09.02.24	पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य जाने पर स्वीकार किया जाता है। जिसका निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 09/02/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह(RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	वादपत्र दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34 / 2022	2022 / 61	24.03.2022	09.02.2024

1. हेमलता देवी पत्नी भंवरलाल जांगिड़ आयु 55 वर्ष जाति जांगिड निवासी नीमकाथाना रोड़ अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—वादीया—

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. दिनेश कुमार जांगिड़ पुत्र रिछपालराम जाति खाती निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वादपत्र बाबत घोषणा रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञाइस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसमें से वादीया 1/6 हिस्से का जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख मालिक एवं स्वामी है। वादीया ने उक्त भूमि के पूर्व खातेदार [illegible] कुमार पुत्रगण प्रेमचन्द जाति बलाई निवासी अजीतगढ़ जिला सीकर राजस्थान [illegible] 09.10.2012 को क्रय किया हुआ है, जो विक्रय लेख उपपंजीयक श्रीमाधोपुर [illegible] है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 500 उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा [illegible] सटाकर स्थित हैं। भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्थान जिसमें वादीया द्वारा क्रयशुदा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 500/1 बनाये गये है। जिसको राजस्व रिकॉर्ड नक्शें में गलत रूप अंकन किया गया है। जिससे वादीया पाबन्द नहीं है तथा उक्त गलत नक्शें का इन्द्राज दुरूस्त कर उक्त नक्शा में उक्त खसरा नम्बर 500/1, खसरा नम्बर 499 से सटाकर भूमि खसरा नम्बर 500 में खाली जगह से 160 फीट उत्तर-दक्षिण दिशा मे छोडकर दक्षिण दिशा में अंकन किया जाकर नक्शा दुरूस्त फरमाये जाने एवं भूमि खसरा नम्बर 500 व 500/1 तन् ग्राम अजीतगढ में उक्त गलत नक्शें में आधार पर वादीया की ओर जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें, ना ही वादीया के शांतिपूर्ण उपयोग-उपभोग आदि में कोई मजाहमत पैदा करे, ना ही उक्त गलत नक्शें के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे, ना ही मौके पर कोई परिवर्तन करें। जिससे वादीया के विधिक हक हकूक पर कोईविपरीत असर पडता हो।प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया।

जिस पर वकील प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 3 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 500 ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमि आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि वाद कथनानुसार है। इसलिए यह वाद राजस्व न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य नहीं है व दावा हाजा न्यायालय हेतु वादकारण उत्पन्न नहीं होने से राजस्व न्यायालय को वादपत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है अस्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 500 ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त दावा भूमि खसरा नम्बर के राजस्व रिकॉर्ड के नक्शें में गलत अंकन किये जाने के संदर्भ में है। उक्त दावा में भूमि खसरा नम्बर का राजस्व रिकॉर्ड नक्शें में सही रूप से दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के लिए उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया हैं तथा माननीय न्यायालय हाजा को ही राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती व नक्शा दुरूस्ती का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हांसिल हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 रूल 11 सीपीसी के प्रावधानों से विपरीत होने से पोषणीय नहीं है।अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी सव्यय अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में वकील अप्रार्थीया/वादीया द्वारा किया गया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सगौर मनन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में मुख्य रूप से वादपत्र में भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.70 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] राजस्थान में से रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख दिनांक 09.10.2012 द्वारा संपरिवर्तन [illegible] 1/6 अर्थात् 1167 वर्गमीटर क्रय कर अप्रार्थीया/वादीया स्वामीनी [illegible] अजीतगढ़ की मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू.अ./23/74 दिनांक 20.01.2023 अनुसार [illegible] नम्बर 500 रकबा 0.70 है में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

09/07/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

से टूटकर खसरा नम्बर 500/1 रकबा 0.1167 है0 बनाया गया है। जिसकी खातेदारी हेमलता पत्नी भंवर लाल जाति जांगिड़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी है। जिसकी नक्शा लट्ठा में तरमीम उत्तर दिशा की हुई है। अप्रार्थीया/वादीया खसरा नम्बर 500/1 रकबा 0.1167 है0 की तरमीम जहां नक्शे में करवाना चाहती है। उक्त जगह पर मुख्य सड़क अजीतगढ़ कांवट पर 70×30 = 2100 वर्गफुट में दिनेश कुमार पुत्र रिछपाल जाति जांगिड़ निवासी रूपपुरा की पुख्ता दुकान, लेट बॉथ कारखाना (टीनशैड) बना हुआ है। जिसमें सन् 2002 से विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। दिनेश कुमार द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 667 दिनांक 25.03.2015 व विक्रय–पत्र संख्या 676 दिनांक 26.03.2015 व तृतीय विक्रय–पत्र संख्या 20/903500100782 दिनांक 03.05.2019 के द्वारा खसरा नम्बर 500 रकबा 0.70 है0 में से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुदा 2000 वर्गमीटर भूमि में से बाबूलाल, ब्रहमप्रकाश पिता सोनाराम जाति बलाई निवासी अजीतगढ़ से क्रय किया है। जिसके दक्षिण में भूमि खसरा नम्बर 500 में मौके पर आवासीय कॉलोनी कटी हुई है। भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.70 है भूमि से 2000 वर्गमीटर का रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकन नहीं है, ना ही तरमीम की हुई है। भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.5833 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कालूराम पुत्र फूलचन्द जाति रैगर, गयात्री पुत्री सोनाराम, ब्रहमप्रकाश बाबूलाल पुत्रगण सोनाराम, देवेन्द्र कुमार सतीश कुमार पुत्रगण नाथूराम, लक्ष्मी पिंकी पुत्रियां नाथूराम समस्त जाति बलाई मंगलाराम पुत्र कानाराम विनोद कुमार बड़सीवाल पुत्र मांगीलाल बड़सीवाल जाति खटीक के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे अप्रार्थीया/वादिया द्वारा पेश किये गये वादपत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से वाद को विधि द्वारा वर्जित होना अवगत कराया है तथा प्रस्तुत वाद मेंउपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से भी स्पष्ट विधित होता है कि अप्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत अपने वादपत्र में संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 500/1 रकबा 0.1167 है0 की अप्रार्थीया/वादीया संपरिवर्तित क्रयशुदा भूमि की मालिक/स्वामी है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड नक्शें में गलत जगह अंकन हो जाने से दुरूस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार कर मूल वादपत्र को खारिज किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल प्रतीत होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि वादपत्र का नामंजूर किया जाना वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क – जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

ख – जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

ग – जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र पर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

घ – जहाँ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
03/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ड़ – जहाँ वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
च – जहाँ वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

चूँकि वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जो भूमि खसरा नम्बर 500 से बने संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 500/1 वादीया की क्रयशुदा संपरिवर्तित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में गलत जगह हुये अंकन को दुरूस्त करवाये जाने हेतु पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से न्यायालय में विचाराधीन वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जिन बिन्दुओं को उठाया गया है वो बिन्दु आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित विधिक प्रावधानों के तहत आते है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

——क्रियात्मक आदेश ——

अतः वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र नामंजूर कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

09/02/24

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/02/24

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.04 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested